नीतियाँ और कानून बनाने तथा सरकारी सेवाएँ प्रदान करने में सामुदायिक भागीदारी नीति

एडिशन 1.0 - 2023

समीक्षाधीन नीति दुबई सरकार की सहभागी सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने, नीति निर्माण और विधायी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई है। साथ ही यह निति सरकारी सेवाओं को प्रदान करने और इन्हें विकसित करने, समुदाय के साथ साझेदारी करने के लिए एक अतिरिक्त कदम के रूप में पेश की गई है, यह समुदाय के उन सभी सदस्यों और इसके विभिन्न समूहों की इच्छाओं और जरूरतों को व्यक्त करती है, जिसमें व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले लोग भी शामिल हैं।

पहला: नीति का उद्देश्य

1. नीतियां और कानून बनाने, विकास करने और सरकारी सेवाएं प्रदान करने में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. नीति-निर्माण, कानून, विकास और सरकारी सेवाओं को प्रदान करने में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना।
3. निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही अपनाना और यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के सदस्यों को सही समय पर इस संबंध में उचित जानकारी प्रदान की गई है।
4. समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पहचान करके और उन्हें पूरा करके सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार करना।
5. समुदाय के सदस्यों और हितधारकों के साथ सहयोग और साझेदारी की नींव विकसित करना।
6. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों तक पहुँचकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।

दूसरा: नीति कार्यान्वयन क्षेत्र

1. लोक नीति का विकास
2. सरकारी सेवाएँ विकसित करना एवं उन्हें उपलब्ध कराना
3. क़ानून का विकास

तीसरा: वे संस्थाएँ जिन पर यह नीति लागू होती है

1. वह सरकारी एजेंसियाँ जिन को सार्वजनिक नीतियों के विकास का काम सौंपा गया है
2. वह सरकारी एजेंसियाँ जिन को सरकारी सेवाएं विकसित करने और प्रदान करने का काम सौंपा गया है
3. वह सरकारी एजेंसियाँ जिन को कानून के विकास का काम सौंपा गया है
4. इन से मिलते जुलते केंद्रीय सरकारी एजेंसियां

चौथा: वह लोक और सार्वजनिक नीतियां, सरकारी सेवाएं और कानून जिन पर यह नीति लागू होती है

1. सार्वजनिक नीतियाँ: सभी सार्वजनिक नीति परियोजनाएँ।
2. सरकारी सेवाएँ: कार्यकारी परिषद के सामान्य सचिवालय से संबद्ध दुबई मॉडल सेंटर के भीतर एजेंडे में सूचीबद्ध सभी सेवा परियोजनाएं और निर्माण और विकास कार्यक्रम।
3. स्थानीय कानून : इस में दुबई राज्य के तहत स्थानीय विधान में वह परियोजनाएँ शामिल हैं जो समुदाय और उसके विभिन्न समूहों के सभी सदस्यों पर ज़िम्मेदारियाँ या जवाबदेही थोपती हैं, भले ही इसकी प्रकृति या

गुणवत्ता कुछ भी हो, चाहे यह नए कानून का कार्य हो या मौजूदा कानून में संशोधन का कार्य हो, लेकिन निम्नलिखित को छोड़कर:

a. वह क़ानूनी मसौदे जिनमें व्यक्तियों और समाज के समूहों पर कोई दायित्व या ज़िम्मेदारी थोपना शामिल नहीं होता है।
b. सरकारी एजेंसियों की स्थापना और विनियमन का कानूनी मसौदा।
c. सरकारी एजेंसियों के किसी भी मामले, जैसे मानव, वित्तीय, संविदात्मक और तकनीकी संसाधनों और अन्य के विनियमन से संबंधित मसौदा कानून।
d. कोई भी मसौदा कानून जिसके लिए जनहित की आवश्यकता होती है, इस नीति के अधीन नहीं होगा।

पाँचवाँ: समय सीमा

a. ज्यूँ ही यह नीति कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित हो जाती है, और विधायी ढांचा स्वीकृत हो जाता है, तब इस नीति का कार्यान्वयन शुरू हो जायेगा।
b. संबंधित सरकारी एजेंसियों को सामुदायिक भागीदारी के लिए विधायी ढांचे के कार्यान्वयन का पालन करना होगा और उसमें निर्दिष्ट सभी नियमों, प्रक्रियाओं, तंत्रों और समय-सीमाओं का पालन करना होगा।

छठा: नीति के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना

सरकार के केंद्र में संबंधित प्राधिकारी उनमें से प्रत्येक की क्षमता के संबंध में नीति के कार्यान्वयन की पर्यवेक्षण करने के लिए निम्नानुसार जिम्मेदार होंगे:

a. कार्यकारी परिषद का सामान्य सचिवालय: यह विभाग सार्वजनिक नीतियों के विकास और सरकारी सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में यह नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
b. सर्वोच्च विधान समिति का सामान्य सचिवालय: यह विभाग विकासशील कानून के क्षेत्र में नीति के कार्यान्वयन की पर्यवेक्षण करता है।
c. दुबई डिजिटल अथॉरिटी: इस नीति से संबंधित तकनीकी पहलुओं के विकास और कार्यान्वयन की यह देखरेख करती है।

सातवाँ: क्षमता का निर्माण

सरकारी केंद्र के संबंधित अधिकारी सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों की क्षमता निर्माण के लिए निम्नानुसार जिम्मेदार होंगे:

a. कार्यकारी परिषद का सामान्य सचिवालय: यह विभाग संबंधित अधिकारियों के साथ कोआर्डिनेशन में सार्वजनिक नीतियों को विकसित करने और सरकारी सेवाओं को विकसित करने और प्रदान करने के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी के लिए क्षमता निर्माण का कार्य करता है।
b. सर्वोच्च विधान समिति का सामान्य सचिवालय: यह विकासशील कानून के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी के लिए क्षमता का निर्माण करता है।
c. दुबई डिजिटल अथॉरिटी: यह सामुदायिक भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर कार्य करती है।

आठवां: सामुदायिक भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

1. "सामुदायिक भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म" का अर्थ दुबई सरकार का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय रूप से प्रबंधित किया जाता है।
2. सामुदायिक भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के कार्य निम्न प्रकार के होते हैं:

a. आवश्यक समूहों की सबसे बड़ी संख्या के लिए डिजिटल प्रारूप के अंदर इस नीति में निर्दिष्ट क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी की योजना बनाना और कार्यान्वित करना।
b. सरकारी एजेंसियों या सहमति वाले किसी अन्य पक्ष द्वारा उपयोग के लिए सभी सामुदायिक भागीदारी उपकरण प्रदान करना।
c. भागीदारी के परिणामों का दस्तावेजीकरण करना, उनका विश्लेषण करना, उन्हें प्रकाशित करना और उनका उपयोग उसके विकास के लिए करना।
d. रिपोर्टें निकालना।

3. "चौथे" खंड में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सामुदायिक भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म इस नीति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी को लागू करने के लिए अनुमोदित एकीकृत चैनल मान्य होगी।
4. अन्यथा, सरकारी एजेंसियां, या कोई अन्य सहमत पार्टी, "चौथे" खंड में निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के प्रयोजनों के लिए सामुदायिक भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
5. प्लेटफ़ॉर्म का प्रबंधन निम्न प्रकार किया जायेगा:
   a. कार्यकारी परिषद का सामान्य सचिवालय: यह विभाग सार्वजनिक नीतियों के विकास तथा सरकारी अन्य सेवाओं के विकास और कानून के संबंध में प्लेटफ़ॉर्म की सामग्री का प्रबंधन करेगा।
   b. कानून के लिए सर्वोच्च समिति का सामान्य सचिवालय: यह कानून के विकास के संबंध में प्लेटफ़ॉर्म की सामग्री का प्रबंधन करेगा।
   c. दुबई डिजिटल अथॉरिटी: यह विभाग डिजिटल सेवाओं से संबंधित सामग्री का प्रबंधन करती है, सामुदायिक भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास की निगरानी करती है, इसका प्रबंधन करती है और इसके लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।
6. प्लेटफ़ॉर्म के प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार अथॉरिटी में कार्य दल, और तकनीकी और व्यावहारिक गुणवत्ता के मूल्यांकन के आधार पर, प्लेटफ़ॉर्म के स्वरूप और इसके विकास के टूल का निर्णय लेता है, चाहे वह पूरी तरह से नया प्लेटफ़ॉर्म हो या मौजूदा प्लेटफ़ॉर्म का उन्नत रूप हो।

नौवां: सामुदायिक भागीदारी

1. सामुदायिक भागीदारी के सिद्धांत

समावेशिता (सब का साथ), यह कि सामुदायिक भागीदारी में नीतियों, सेवाओं या कानून से प्रभावित सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे उनका बैकग्राउंड, पहचान या दृष्टिकोण कुछ भी हो, ताकि इस नीति के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में अपनी टिप्पणियों और सुझावों को व्यक्त करने में समाज के सदस्यों के सबसे बड़े संभावित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

पारदर्शिता, यह कि एक ओर समाज के सदस्यों और उसके हिस्सों और दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए इस नीति के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी स्पष्ट, पूर्ण और सटीक होनी चाहिए।

सहयोग व सहकार, समाज के सदस्यों और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग और साझेदारी पर आधारित सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, जिस से सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है।

जवाबदेही, सामुदायिक भागीदारी के रूप में जवाबदेही की संस्कृति को सभी स्तरों पर बढ़ावा देना चाहिए, चाहे सरकारी टूल्स में हो, निजी क्षेत्र में, या समाज के सदस्यों के बीच, ताकि हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी में भागीदार हो।

स्थिरता, यह की सामुदायिक भागीदारी को स्थिरता की विशेषता होनी चाहिए, और इस नीति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में समुदाय के सदस्यों और इस के भागों की निरंतर भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के आने वाले लक्ष्यों और रणनीतियों के बराबर जारी रहना चाहिए।

सशक्तिकरण व सक्षम बनाना, एक सामुदायिक भागीदारी के रूप में, समाज के सदस्यों और उसके भागों को उन पहलुओं और क्षेत्रों में सकारात्मक और वांछित परिवर्तन लाने में सक्षम बनाना चाहिए जो उनके जीवन और उनके विभिन्न मामलों और हितों को प्रभावित करते हैं, उन्हें इस नीति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिलकुल अलग और निष्पक्ष रूप से अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

2. आवश्यक अवं लक्षित समूह

a. **सामान्य रूप से समुदाय के सभी सदस्य,** संस्कृति और सामाजिक और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समाज के सभी सदस्य, क्योंकि वे सामुदायिक भागीदारी की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य भाग हैं।

b. **सबसे कमजोर समूह (नुकसान के प्रति सबसे संवेदनशील),** जिसमें विकलांग व्यक्ति, बुजुर्ग, सीमित आय वाले लोग और अन्य शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके दृष्टिकोण और जरूरतों को सुना जाए, उन्हें इस नीति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में एकीकृत किया जाए जो उनके मामलों को प्रभावित करते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं।

c. **युवा वर्ग,** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी ज़रूरतों और अपेक्षाओं की पहचान की गई है, और वे जो नए विचार पेश कर सकते हैं, उनसे लाभ उठाया जाए, इसके अलावा, उन्हें अपने विचारों और ख्यालात को व्यक्त करने में सक्षम बनाकर, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाया जाए।

d. **व्यापार क्षेत्र,** यह सुनिश्चित करना कि इस नीति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखा गया है, निजी क्षेत्र के हितों के साथ उनकी मर्ज़ी को सुनिश्चित करना, आर्थिक गतिविधियों के संचालन को प्रोत्साहित करना, एक ऐसा निवेश वातावरण प्रदान करना जो मौजूदा आर्थिक परियोजनाओं का समर्थन करने के साथ नए निवेश को भी आकर्षित करे, व्यापार व्यवसायियों के सामने आने वाली बाधाओं और चुनौतियों को दूर करे, उनके हितों की रक्षा करे, और उनके निवेश के लिए सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करे।

e. **गैर-लाभकारी उपयोगितावादी संस्थानों की श्रेणी,** इस नीति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे विशेष रूप से सामाजिक मामलों और पर्यावरण से निकटता से जुड़े हुए होते हैं, और उन सामाजिक भागों के साथ निरंतर संपर्क में होते हैं जिन्हें समर्थन और सशक्तिकरण की आवश्यकता है और नीति और कानून निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को समान रूप से अपनी आवाज पहुंचानी है।

3. सामुदायिक जुड़ाव उपकरण

इस नीति को लागू करने में ऐसे कई सामुदायिक भागीदारी उपकरण हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

टूल्स	वर्णन
मतदान और सर्वेक्षण	मतदान और सर्वेक्षण का उपयोग नीतियों, सेवाओं और कानून के मुद्दों पर समुदाय के सदस्यों की राय का सर्वेक्षण करने और समुदाय की राय और उनकी प्राथमिकताओं को जानने के लिए किया जाता है, और इसे व्यक्तिगत रूप से या वस्तुतः आयोजित किया जा सकता है।
टाउन हॉल्स	वे सामान्य बैठकें होती हैं, जो विशेष रूप से किसी विशिष्ट विषय पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती हैं, और नेताओं तथा निर्णय निर्माताओं और लक्ष्य समूह के बीच या तो सीधे बातचीत के माध्यम से, या डिजिटल माध्यमों से होने वाली भौतिक या आभासी बैठकों के माध्यम से, इस नीति के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में अपनी राय और प्रस्ताव व्यक्त करने के लिए आयोजित की जाती हैं।
भागीदारी बजट	इस टूल के माध्यम से, लक्ष्य समूह को सरकारी आम बजट परियोजनाओं और संबंधित वित्तीय अवधारणाओं से संबंधित मुद्दों से अवगत कराया जाता है, और शामिल होने वालों के लिए अपनी राय व्यक्त करने और सार्वजनिक खर्च के पहलुओं पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने, बजट प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, प्रत्यक्ष वित्तीय आवंटन और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी राय देने के लिए चर्चा का क्षेत्र आयोजित करता है।
शिकायतें एवं सुझाव	समुदाय के सदस्यों को विशिष्ट नीति प्रस्तावों के प्रति अपना समर्थन या विरोध व्यक्त करने के लिए अपनी याचिकाएँ और शिकायतें जमा कर एक स्थान प्रदान की जाती हैं। याचिकाओं का उपयोग किसी विशेष मुद्दे के लिए सार्वजनिक समर्थन प्रदर्शित करने या नीति निर्माताओं को कार्रवाई करने के लिए अपनी आवाज़ बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
क्राउड सोर्सिंग (भीड़ के माध्यम से)	क्राउड सोर्सिंग (भीड़ के माध्यम से) इस में लोगों के एक बड़े समूह से विचार और राय मांगना शामिल है, और इसे नीतियों, सेवाओं या कानून के बारे में नए विचार उत्पन्न करने या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मौजूदा प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए नियोजित किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक मतदान	यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टूल समुदाय के सदस्यों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके इस नीति के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र पर अपनी रे व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है।
फ़ोरम	इस टूल के माध्यम से, अपने साथ शामिल होने वालों को चर्चा किए जाने वाले विषय के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करने और उन्हें उचित समाधानों पर चर्चा करने और विचार-विमर्श करने का अवसर देने के बाद, इस नीति द्वारा कवर किए गए किसी भी क्षेत्र के बारे में चर्चा और विचार-विमर्श में किसी भी लक्ष्य समूह को शामिल करने के लिए प्लेटफार्म को तैयार किया गया है। यह टूल या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

4. सामुदायिक भागीदारी का स्तर और उससे प्राप्त मूल्य

इस नीति द्वारा अपेक्षित सामुदायिक भागीदारी के पाँच स्तर हैं, जो नीति के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक क्षेत्र में एक विशिष्ट रूप लेते हैं:

	सार्वजनिक नीतियों के विकास में सामुदायिक भागीदारी	सरकारी सेवाओं के विकास और उन्हें उपलब्ध कराने में सामुदायिक भागीदारी	कानून के विकास में सामुदायिक भागीदारी

	सार्वजनिक नीतियों के विकास में सामुदायिक भागीदारी	सरकारी सेवाओं के विकास और उन्हें उपलब्ध कराने में सामुदायिक भागीदारी	कानून के विकास में सामुदायिक भागीदारी
सूचना पोस्ट करना [लक्षित समूह को समय पर साफ़ साफ़ जानकारी प्रदान करना]	✓ समुदाय को नई और मौजूदा नीतियों, उनके उद्देश्यों, उसके प्रतिबिंब और उनके कार्यान्वयन के परिणामों के बारे में सूचित करना। ✓ सामुदायिक भागीदारी प्रक्रियाओं के परिणामों के बारे में समुदाय को सूचित करना। ✓ नीति मूल्यांकन के परिणामों के बारे में समुदाय को सूचित करना।	✓ सेवाओं और उनके विकास से संबंधित आवश्यकताओं और नियंत्रणों के बारे में समुदाय को सूचित करना ✓ लागू प्रस्तावों और सेवा के बारे में ग्राहकों के योगदान के आधार पर लागू किए गए सुधारात्मक उपायों और पहलों के बारे में समुदाय को सूचित करना। ✓ समुदाय को नई और मौजूदा सेवाओं, उनके चैनलों, लक्ष्यित समूह और सेवा चार्टर के बारे में सूचित करना ✓ सेवा मूल्यांकन के परिणामों के बारे में समुदाय को सूचित करना	✓ लक्ष्यित समूह को अपडेटेड तथा मौजूदा कानून का मसौदा, इसके उद्देश्यों, निहितार्थों और इसके कार्यान्वयन के परिणामों के बारे में सूचित करना। ✓ कानून के विकास में सामुदायिक भागीदारी के परिणामों के बारे में लक्ष्य समूह को सूचित करना। ✓ कानून के प्रभाव के मूल्यांकन के परिणामों के बारे में लक्ष्य समूह को सूचित करना।
2. परामर्श (काउंसलिंग) [चुनौतियों और इनके प्रस्तावित समाधानों पर लक्ष्य समूह के साथ चर्चा करना]	✓ उन मुद्दों पर चर्चा / चिन्हित / सुझाव देना जिनके लिए नीति विकास की आवश्यकता है। ✓ प्रस्तावित नीति टूल पर सलाह ✓ नीति कार्यान्वयन और प्रभाव के मूल्यांकन में भाग लेना।	✓ सेवाओं के बारे में ग्राहकों की अपेक्षाओं पर चर्चा / परिभाषित / सुझाव व्यक्त करना। ✓ सेवाओं और उनके प्रभाव के मूल्यांकन और विकास में भाग लेना। ✓ सेवाओं के बारे में अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करने के लिए समुदाय को सलाहकार प्रक्रियाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। ✓ समुदाय को सेवा की घोषणा से पहले या बाद में उसका अनुभव करने का अवसर प्रदान करना।	✓ उन मुद्दों पर चर्चा / पहचान / कोई प्रस्ताव पेश करना जिन्हें विनियमित करने के लिए कानून जारी करने की आवश्यकता है। ✓ कानून तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान कानून लेखों पर सलाह लेना। ✓ कानून के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करने और उसका प्रभाव दिखाने में भाग लेना।
3 - **समाधानों को तैयार करने में योगदान देना** [नीतियों / कानून / सेवाओं की तैयारी के दौरान लक्ष्य समूह के साथ सीधे काम करना]	✓ चिन्हित करना / नीति विकल्पों / उपकरणों को परिभाषित करना / सुझाव देना।	✓ सरकारी सेवाओं को उनके प्रावधान के सभी चरणों में बेहतर बनाने की पहल का प्रस्ताव देने के लिए सीधे समुदाय के साथ काम करना। ✓ विकास के सभी चरणों सहित नई सेवाएँ विकसित करने के लिए समुदाय के साथ काम करना।	✓ समस्या या पहल को परिभाषित करना और उसके आयामों को इंगित करना, और इसे क़ानूनी रूप से संबोधित करने के लिए उचित समाधान प्रस्तावित करना।
4. निर्णय लेने में योगदान देना [निर्णय लेने के सभी पहलुओं	✓ नीति विकल्पों और टूल पर अपनी राय देना	✓ सेवाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में समुदाय के सभी सदस्यों को शामिल करना। ✓ सेवाओं के बारे में शिकायतों	✓ लक्ष्य समूह को क़ानूनी रूप से संबोधित की जाने वाली समस्या या

	सार्वजनिक नीतियों के विकास में सामुदायिक भागीदारी	सरकारी सेवाओं के विकास और उन्हें उपलब्ध कराने में सामुदायिक भागीदारी	कानून के विकास में सामुदायिक भागीदारी
में लक्ष्य समूह को शामिल करना]		और सुझावों के समाधान के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में समुदाय को शामिल करना। ✓ समूह के सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समाज में कई समूहों के लिए उपयुक्त विभिन्न टूल्स और चैनल प्रदान करने पर अपनी राय देना।	पहल के विधायी संगठन के निर्माण में योगदान देने और भाग लेने का अवसर प्रदान करना।
5. सशक्तिकरण [लक्ष्य समूह के सभी सदस्यों को स्वयं समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाना]	✓	✓ लक्ष्य समूह के सभी समुदाय, निजी क्षेत्र या गैर-लाभकारी क्षेत्र को ऐसी सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाना जो समाज या उसके समूह पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं।	

6- सामुदायिक रूप से भागीदारी के ट्रिगर्स (Triggers)

इस नीति के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक क्षेत्र में, कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनके लिए सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है:

सार्वजनिक नीतियों के विकास में सामुदायिक भागीदारी	सरकारी सेवाओं के विकास और उन्हें उपलब्ध कराने में सामुदायिक भागीदारी	कानून के विकास में सामुदायिक भागीदारी
सामुदायिक भागीदारी को लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर, तरह तरह के बदलाव के एक सेट के अनुसार नई नीतियों का विकास या मौजूदा नीतियों का विकास है, जिनमें निम्न शामिल हैं: ✓ भविष्य के अवसरों या जोखिमों का एक इंडक्शन जिसके लिए सक्रिय नीतियों के विकास की आवश्यकता होती है। ✓ सामाजिक / आर्थिक / पर्यावरणीय या अन्य मुद्दों का सामने आना जो समाज को प्रभावित करते हैं और जिस में नई नीतियों के विकास के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिए: वायु प्रदूषण में वृद्धि, सस्ती और किफायती आवास की बढ़ती चुनौतियां, कुछ सामाजिक घटनाओं का प्रसार, और अन्य)। ✓ आर्थिक या सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन, या किसी अन्य परिस्थिति में उन धारणाओं में बदलाव जिन पर नीति आधारित थी, और जिस में नीति की समीक्षा और विकास की आवश्यकता होती है।	सरकारी सेवाओं से संबंधित सामुदायिक भागीदारी के कार्यान्वयन के लिए कुछ ट्रिगर्स को निम्नलिखित में संक्षेपित किया गया है: ✓ भविष्य के अवसरों, चुनौतियों या जरूरतों का एक ऐसा इंडक्शन जिसके लिए सक्रिय सरकारी सेवाओं के विकास की आवश्यकता होती है। ✓ सेवाओं के लिए रणनीतिक और भविष्य की दिशाएँ। ✓ ग्राहक की राय के परिणाम। ✓ कुछ डेटा प्राप्त करना (जैसे: ग्राहकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं और प्रतिक्रिया का अध्ययन) ✓ किसी विशेष सेवा में कोई चुनौती सामने आना। ✓ नई सरकारी सेवा प्रदान करना / सरकारी एजेंसियों द्वारा किसी सेवा को रद्द करना।	सामुदायिक भागीदारी के कार्यान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर, तरह तरह के बदलाव के एक सेट के अनुसार नए कानून का विकास या मौजूदा कानून में संशोधन या रद्द करना है, जिसमें शामिल हैं: ✓ भविष्य में होने वाले परिवर्तनों या जोखिमों का विस्तार जिसके लिए सक्रिय कानून विकसित करने के लिए काम करने की आवश्यकता होती है। ✓ सामाजिक / आर्थिक / पर्यावरणीय मुद्दों का सामने आना, या समाज को प्रभावित करने वाले ऐसे अन्य मुद्दे, जिनमें क़ानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ✓ आर्थिक, सामाजिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से उन धारणाओं में बदलाव आता है जिन पर कानून आधारित था, और मौजूदा कानून की समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता होती है। ✓ कानून के लागू होने के बाद जो

सार्वजनिक नीतियों के विकास में सामुदायिक भागीदारी	सरकारी सेवाओं के विकास और उन्हें उपलब्ध कराने में सामुदायिक भागीदारी	कानून के विकास में सामुदायिक भागीदारी
✓ मौजूदा नीतियों को लागू करने में वह चुनौतियाँ जिनमें परिवर्तन / विकास की आवश्यकता है। ✓ जनता की राय बदलना या विशिष्ट मुद्दों की मीडिया कवरेज का ज़ाहिर होना जो चुनौतियों और उन्हें संबोधित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता को उजागर करता है।		चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं उनमें परिवर्तन, संशोधन या रद्द करने की आवश्यकता का होना। ✓ समय के परिवर्तन, तकनीकी विकास, डिजिटल परिवर्तन, बनावटी बुद्धिमत्ता के उपयोग और अन्य से संबंधित कानूनी चुनौतियों का सामने आना, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए एक क़ानूनी प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता होती है। ✓ वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों और परिवर्तनों को संबोधित करने में मौजूदा कानून की अपर्याप्तता के समाधान के लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता का होना।

7- सामुदायिक भागीदारी की योजना बनाना और लागू करना

सामुदायिक भागीदारी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्थित प्रक्रियाओं का पालन किये जाने की आवश्यकता होगी, जो भागीदारी के दायरे को परिभाषित करने से शुरू होगा और वांछित परिणाम प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने तक अंत होगा:

	सार्वजनिक नीतियों के विकास में सामुदायिक भागीदारी	सरकारी सेवाओं के विकास और उन्हें उपलब्ध कराने में सामुदायिक भागीदारी	कानून के विकास में सामुदायिक भागीदारी
1. समुदाय की भागीदारी का दायरा निर्धारित करना	जिस मुद्दे या नीतिगत मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, जिस समस्या का समाधान किया जाना है, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के संबंध में, अपनाए जाने वाले संभावित समाधान और मौजूदा नीतियों के विकास के चरण को निम्न प्रकार स्पष्ट रूप से परिभाषित करना: ✓ उन मुद्दों का प्रस्ताव या चर्चा करना, जिनमें सार्वजनिक नीतियों के विकास के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ✓ नीति विकल्पों / उपकरणों को परिभाषित करना / सुझाव देना। ✓ नीति विकल्पों और उपकरणों पर अपनी राय देना। ✓ नीति को लागू करने और प्रभाव के मूल्यांकन में भाग लेना।	ऐसे सेवा के पहलू को निर्धारित करना जिसमें सामुदायिक भागीदारी आयोजित की जानी है, और जिन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है, विशेष रूप से निम्नलिखित: ✓ आगे की सेवाओं का एक दृष्टिकोण जिसे भविष्य की जरूरतों और स्थितियों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से विकसित किया जा सकता है। ✓ ग्राहकों द्वारा सबसे अधिक अनुरोधित सेवाएँ (लेनदेन या सेवाओं की मात्रा के अनुसार जिनमें ग्राहकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है)। ✓ ग्राहकों की ज़रूरतों या सरकारी रणनीतिक निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाली सेवाएँ।	✓ कानून के मसौदा के लिए ऐसा स्पष्ट और सटीक स्टैण्डर्ड निर्धारित करना जिसके लिए सार्वजनिक हित और लक्षित समूहों के हितों के संबंध में सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है।
2. लक्ष्य समूहों का	निम्नलिखित श्रेणियों से उन सबंधित	निम्नलिखित श्रेणियों से सेवा	उन लोगों की

	सार्वजनिक नीतियों के विकास में सामुदायिक भागीदारी	सरकारी सेवाओं के विकास और उन्हें उपलब्ध कराने में सामुदायिक भागीदारी	कानून के विकास में सामुदायिक भागीदारी
निर्धारण करना	समूह और हितधारकों की पहचान करें जो इस नीति के तहत प्रभावित होंगे: ✓ समाज। ✓ सबसे कमजोर वर्ग। ✓ युवा पीढ़ी। ✓ व्यवसाय के मालिक और निजी क्षेत्र। ✓ गैर-सरकारी / गैर-लाभकारी संगठन।	से प्रभावित होने वाले सबंधित समूह और हितधारकों का निर्धारण करें: ✓ समाज। ✓ सबसे कमजोर वर्ग। ✓ युवापीढ़ी। ✓ व्यवसाय के मालिक और निजी क्षेत्र। ✓ सेवा के अनुसार ग्राहक श्रेणी ✓ गैर-सरकारी / गैर-लाभकारी संगठन ✓ सेवा प्रदाताओं के कर्मचारी (सर्विस डेवलपर)	पहचान करना जिन्हें कानून के मसौदा के प्रावधानों से संबोधित और प्रभावित किया जाएगा, और जो सामुदायिक भागीदारी प्रक्रिया में शामिल होंगे।

3. एक एक्शन प्लान विकसित करना	इस एक्शन प्लान में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए: ✓ भागीदारी का लक्ष्य और उद्देश्य. ✓ संचालित की जाने वाली गतिविधियां। ✓ नियम और जिम्मेदारियाँ ✓ समय सीमा और मील के पत्थर (से - तक)। ✓ वह सोर्सेज जिन की आवश्यकता होगी। ✓ प्रयुक्त उपकरण। ✓ सामुदायिक भागीदारी अभियान के बारे में लक्षित समूहों को सूचित करने के लिए संचार।
4. सामुदायिक भागीदारी को लागू करने के लिए दायरा और उपकरण निर्धारित करना	निम्नलिखित के आधार पर सामुदायिक भागीदारी को लागू करने का दायरा और उपकरण निर्धारित किए जायेंगे: ✓ उस आवश्यक चरण का वर्णन करना जिसमें भागीदारी की प्रक्रया पूरी की जाएगी। ✓ संबोधित किए जाने वाले विषय की प्रकृति और जटिलता। ✓ उपलब्ध समय सीमा। ✓ लक्ष्य समूह की प्रकृति। ✓ भागीदारी टूल की उपलब्धता। ✓ सामुदायिक भागीदारी के लिए संसाधन का उपलब्ध होना।
5. भागीदारी टूल को विकसित करना	लक्षित समूहों के लिए भागीदारी के पसंदीदा स्वरूप के अनुसार सामुदायिक भागीदारी उपकरण विकसित करना।
6. भागीदारी को शुरू करना	✓ अनुमोदित तरीकों के अनुसार हितधारकों (लक्षित समूहों) को सूचित करके सामुदायिक भागीदारी शुरू करना। ✓ सामुदायिक भागीदारी हेतु डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी की शुरुआत करना। ✓ अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार कार्य का फॉलो उप करना।
7. परिणामों का विश्लेषण करना	मात्रात्मक अथवा गुणात्मक विश्लेषण, उपकरणों के अनुसार हितधारकों से एकत्र की गई प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना , और निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसे ध्यान में रखना , जिसमें

	सार्वजनिक नीतियों के विकास में सामुदायिक भागीदारी	सरकारी सेवाओं के विकास और उन्हें उपलब्ध कराने में सामुदायिक भागीदारी	कानून के विकास में सामुदायिक भागीदारी
	टिप्पणियों में उभरने वाले सामान्य विषयों, चिंताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करना शामिल है।		
8. परिणामों का दस्तावेज़ीकरण करना	एक निश्चित समय सीमा के भीतर इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए फॉर्म के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में सामुदायिक भागीदारी के परिणामों का दस्तावेजीकरण करना।		
9. परिणामों का प्रसार करना और लक्ष्य समूहों के साथ संवाद करना	हितधारकों के साथ भागीदारी प्रक्रिया के परिणामों के बारे में चर्चा करें, और उन्हें बताना कि चुने गए विकल्पों के पीछे के तर्क में उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी टिप्पणियों का उपयोग कैसे किया गया है।		
10. एक एक्शन प्लान के अनुसार परिणामों का उपयोग करना	निर्णय लेने की प्रक्रिया को समृद्ध करने तथा बढ़ावा देने के लिए उन एकत्रित परिणामों का उपयोग करना, जिसमें नीतियों, सेवाओं या कानून में संशोधन करना या दूसरों के मुकाबले विशिष्ट विकल्पों का चयन करना शामिल है।		

8- सामुदायिक भागीदारी का मूल्यांकन

मन चाहा परिणाम प्राप्त करने पर इसकी प्रभावशीलता और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी प्रक्रिया का मूल्यांकन करना अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसमें प्रतिभागियों का मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूचित करने की उनकी क्षमता शामिल होगी। इस प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित टूल्स नियोजित किए जा सकते हैं:

a. भागीदारी प्रक्रिया में प्रतिभागियों से उन की टिप्पणियाँ और उनकी संतुष्टि के स्तर को इकट्ठा करने के लिए मतदान और प्रश्नावली तैयार करना।
b. फोकस समूहों का आयोजन करना और प्रतिभागियों के भागीदारी अनुभव, धारणाओं और सुधार के सुझावों को समझने के लिए उनके साथ मीटिंग्स आयोजित करना।
c. जमा किये गए डेटा का मात्रात्मक विश्लेषण, जैसे भागीदारी रेश्यो , प्रतिभागी विविधता तथा प्रकार और इंटरैक्शन की मात्रा।
d. इनपुट्स की सामग्री और गुणवत्ता का विश्लेषण करना, जैसे टिप्पणियाँ, सुझाव या विचार-विमर्श के परिणाम।
e. नीतिगत परिणामों पर उनके प्रभाव को समझने के लिए किसी भी भागीदारी पहल के गहन मामले का अध्ययन करके प्रभाव मूल्यांकन करना।
f. सामुदायिक भागीदारी का आज़ाद मूल्यांकन करने के लिए बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं या विशेषज्ञों को शामिल करना।

9- सामुदायिक भागीदारी के लिए नियम एवं शर्तें:

1- भागीदारी निष्पक्षतावाद के आधार पर होनी चाहिए और इस क्रम में गंभीरता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए।
2- लागू कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता हो।
3- सामुदायिक भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस तरह से दुरुपयोग न करें जो इसके प्रदर्शन, सेफ्टी लेवल या निरंतरता को प्रभावित करता हो, या दूसरों को इससे फायेदा उठाने से रोकता हो।
4- विषय वस्तु के संदर्भ से बाहर राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भागीदारी का उपयोग नहीं करने की प्रतिबद्धता हो।
5- लिंग, जाति, धर्म, सामाजिक या आर्थिक बैकग्राउंड या अन्य के आधार पर भेदभाव न करना।

6- किसी भी तरह या रूप में दूसरों को ठेस पहुंचाने से बचना , दूसरे की राय और टिपण्णी का सम्मान करना , झगड़े भड़काने, दूसरों के प्रयासों पर सवाल उठाने या उन्हें या उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाने से बचना।
7- व्यक्तिगत हिसाब-किताब निपटाने के लिए सामुदायिक भागीदारी का शोषण न करना।
8- बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने की प्रतिबद्धता हो।
9- व्यक्तिगत डेटा, जैसे नाम, संपर्क जानकारी और पते का आदान-प्रदान नहीं करने की प्रतिबद्धता हो।